न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक रिव्यू 12–तीन/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–01–1996 पारित द्वारा राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर प्रकरण कमांक 893/1994.

कल्याण पुत्र केवलिया
निवासी ग्राम चकरामपुरा तहसील करैरा
जिला शिवपुरी म0प्र0

———आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन

———अनावेदक

– – – – – –

श्री एच0एन0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री दिवाकर दीक्षित, पैनल अभिभाषक, अनावेदक

– – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 3 सितम्बर 2015)

– – – – –

आवेदक द्वारा यह पुनर्विलोकन राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के आदेश दिनांक 09–01–1996 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहित 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर द्वारा बिना शिकायत के आधार पर अथवा बगैर सूचना का स्त्रोत बताये प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर विधि द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन नहीं किया है। विवादित आदेश 1988 के 4 साल बाद बगैर सूचना के स्वमेव निगरानी में लेकर विलम्ब का कारण न बताते हुये विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया है।

इन बिन्दुओं के बावजूद भी माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी निरस्त करने में भूल की है।

3/ अनावेदक शासकीय पैनल अभिभाषक ने तर्क दिया कि आवेदक द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 9–1–1996 के विरूद्ध लगभग 16 वर्ष पश्चात समयबाधित रिव्यू प्रस्तुत किया है। यह भी तर्क दिया कि रिव्यू में आधार सीमित है अगर अभिलेख से प्रत्यक्षदर्शी त्रुटि रह गई हो तो रिव्यू ग्राह्य किया जा सकता है। पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश में इस प्रकार कोई त्रुटि नहीं की है जो विधिविपरीत प्रतीत होती हो। ऐसी स्थिति में रिव्यू निरस्त किया जाये।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में प्रकरण का अवलोकन किया। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 9–01–1996 का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 9–1–1996 के विरूद्ध लगभग 16 वर्ष पश्चात दिनांक 3–1–2012 को प्रस्तुत किया है। विलम्ब को क्षमा किये जाने बावत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन मय शपथपत्र के प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 की धारा 114 तथा आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:–

1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या

2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या

3 कोई अन्य पर्याप्त कारण

आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्को में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। उनके द्वारा अभिलेख

से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है। केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है। अतः यह पुनर्विलोकन समयबाधित एवं प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर